कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

आदेश संख्या : 101 /2025, **दिनांक : अप्रैल 24 , 2025**

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 7356/Main (P)/Admin. (A-3); Allahabad, दिनांकित 31.05.2019 में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद में माह मई व जून 2025 में प्रातः कालीन न्यायालय (Morning Court) का समय 07:00 A.M. से 01:00 P.M. निर्धारित किये जाने हेतु बार एसोसियेशन, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव साथ हुई बैठक दिनांकित 23.04.2025 में सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद में माह मई व जून 2025 में प्रातः कालीन न्यायालय (Morning Court) का समय 07:00 A.M. से 01:00 P.M. तथा कार्यालय समय 06:30 A.M. से 01:30 P.M. निर्धारित किया जाता है। उक्त समयावधि में 06:30 A.M. से 07:00 A.M. तक समस्त न्यायिक अधिकारीगण विश्राम कक्ष में, 07:00 A.M. से 10:30 A.M. तक न्यायालय कक्ष में, 10:30 A.M. से 11:00 A.M. तक भोजनावकाश, 11:00 A.M. से 01:00 P.M. तक न्यायालय कक्ष में तथा 01:00 P.M. से 01:30 P.M. तक विश्राम कक्ष में रहेंगे।

इस आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, समस्त न्यायालय/कार्यालय, समस्त बार एसोसियेशन, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, अधीक्षक जिला कारागार व अधीक्षक, राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह को सूचनार्थ प्रेषित की जाये, स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति न्यायालय के सूचना पट पर चस्पा की जाये। सिस्टम असिस्टेंट, आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

Vinay Kumar 24/4/25

(विनय कुमार-III)

जनपद न्यायाधीश,